सत्र परीक्षण संख्या 122/2017

राज्य प्रति गौरी शंकर व अन्य

<u>21.04.2017</u>

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित हैं। अभियुक्तगण गौरीशंकर, अनिरूद्ध, राजकुमार, अनिल, सत्यम्, अमन, राजन, भीम, नन्हें, मंजेश, सन्तोष, बीरबल एवं कवलपाती जमानत पर उपस्थित हैं। प्रस्तुत पत्रावली आज आरोप पर आदेश हेतु लगायी गयी थी, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि अभियुक्त अनिरूद्ध सिंह व कवलपाती की तरफ से किसी भी अधिवक्ता का वकलातनामा नहीं है। अतः अभियुक्तगण अनिरूद्ध सिंह व कवलपाती को वकालतनामा हेतु कहा गया जिसके पश्चात् श्री मिथिलेश कुमार दिक्षित, एडवोकेट द्वारा अभियुक्तगण अनिरूद्ध सिंह व कवलपाती देवी की ओर से अपना वकालतनामा दिया गया, जो पत्रावली पर ली जाय। श्री मिथिलेश कुमार दिक्षित, एडवोकेट द्वारा यह कहा गया कि उन्होंने पूर्व तिथि पर अन्य अभियुक्तों के लिये जो आरोप पर बहस की थी, उसी बहस को अभियुक्तगण अनिरूद्ध सिंह व कवलपाती देवी की तरफ से माना जाय। पत्रावली बाबत आरोप पर आदेश हेतु दिनांक 24.04.2017 को पेश हो।

सत्र न्यायाधीश,

कुशीनगर।